रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 34] नई दिल्ली, अगस्त 18—अगस्त 24, 2013, शनिवार/श्रावण 27—भाद्र 2, 1935
No. 34] NEW DELHI, AUGUST 18—AUGUST 24, 2013, SATURDAY/SHRAVANA 27—BHADRA 2, 1935

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

(राजभाषा विभाग)

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2013

सा.का.नि. 204.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान (प्रशासनिक अधिकारी), भर्ती नियम, 1991 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

2. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान (प्रशासनिक अधिकारी) भर्ती (संशोधन) नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

3. गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान (प्रशासनिक अधिकारी) भर्ती नियम, 1991 की अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :-

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
प्रशासनिक अधिकारी	*01 (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित (अनुसचिवीय)	वेतन बैंड-3, 15600—39100 रु. (ग्रेड वेतन 6600 रु.)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	पुनर्नियोजित सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)
प्रतिनियुक्ति (सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन)	प्रतिनियुक्ति : केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारी :- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-3, 15600-39100 रुपए और ग्रेड वेतन 5400 रुपए या समतुल्य पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं। (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में बैचलर डिग्री ; (ii) प्रशासन, स्थापना और लेखा मामलों में पांच वर्ष का अनुभव । सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए : प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन सशस्त्र बल के कैप्टन या समतुल्य रैंक के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास प्रतिनियुक्त व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हता और अनुभव हैं । यदि ऐसे अधिकारियों का चयन हो जाता है तो उन्हें उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है । तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है । यदि ऐसा पात्र अधिकारी वास्तविक रूप से चयन से पहले सेवानिवृत्त हो जाता है या रिजर्व में स्थानांतरित कर दिया जाता है तो उसकी नियुक्ति पुनर्नियोजन के आधार पर की जाएगी । (सिविल पदों के प्रति निर्देश से अधिवर्षिता की आयु तक पुनर्नियोजन) ।

टिप्पण-1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण-2 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण-3 : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी 2006 से या उस तारीख से, जिसको छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व -पुनरीक्षित का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा,

(11)	(12)
	जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना		भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)		(14)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (सशस्त्र बल के पुनर्नियोजन कार्मिकों की पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-		पद को भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।
1. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग	—अध्यक्ष	
2. निदेशक/उपसचिव, राजभाषा विभाग	—सदस्य	
3. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान	—सदस्य	

[फा. सं. 14034/48/2009-रा.भा.(प्रशि.)]

सूरज भान, उप सचिव

पाद टिप्पण :-मूल नियम, भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 143, तारीख 9 मार्च, 1999 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात सा.का नि. 516 तारीख 10 नवंबर, 2000 द्वारा संशोधन किए गए ।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 13th August, 2013

G. S. R. 204.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language, Central Hindi Training Institute (Administrative Officer) Recruitment Rules, 1991, namely;

2. (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language, Central Hindi Training Institute (Administrative Officer) Recruitment (Amendment) Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. In the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language, Central Hindi Training Institute (Administrative Officer) Recruitment Rules, 1991, for the Schedule, the following schedule shall be substituted, namely :-

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or pay Scale	Whether selection post or non selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Administrative Officer	01* (2013) *subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Ministerial	Pay Band-3 Rs. 15600—39100 puls Gr. pay of Rs. 6600	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Two years for Armed Fores personnel re-employed

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation /absorption to be made
(11)	(12)
Deputation (For Armed Forces Personnel Deputation/Re-employment)	**Deputation:** Officers of the Central Government or State Governments or Union territories: (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department: or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the Pay Band-3 (Rs. 15600-39100) and Grade pay of Rs. 5400 - or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) Possessing the following educational qualification and experience; (i) Bachelor's degree in any subject from a recognised University; (ii) five years' experience in administration, establishment and accounts matters. For Armed Forces Personnel : Deputation/Re-employment The Armed Forces Personnel of the rank of Captain or equivalent who are due to retire or to be transferred to reserve within a period of one year and possessing the educational qualification and experience prescribed for deputationists shall also be considered. If selected, such officers will be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces. Thereafter, they may be continued on re-employment terms. In case such eligible officers have retired or have been transferred to reserve before the actual selection to the post is made, their appointment will be on Re-employment basis. (Re-employment upto the age of superannuation with reference to civil posts).

(11)	(12)
	Note 1.- Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2.-** The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of the receipt of application. **Note 3.-** For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade payor pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade payor pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or scale is the normal replacement grade without any up-gradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation re-employed of Armed Forces Personnel) consisting of :- 1. Joint Secretary, Department of Official Language —Chairman 2. Director/Deputy Secretary Department of Official Language —Member 3. Director Central Hindi Training Institute —Member	Consulation with the Union Public Service Commission necessary on each occasion.

[F. No. 14034/48/2009-OL(Trg.)]

SURAJ BHAN, Dy. Secy.

Foot Note:— The principal rules were published vide number G. S.R. 143, dated the 9th March, 1999 and subsequently amendment vide number GSR 516, dated 10th November, 2000.